संख्या-1298/2025/934/22-2-2025-17(885)/2025

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश मिश्र,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ, दिनांक: 04 नवम्बर, 2025

विषय:- केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी हरफूल उर्फ काला पुत्र श्री रिसाल, निवासी दिल्ली की फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वरिष्ठ अधीक्षक(मु0), कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं उ0प्र0, लखनऊ के पत्र संख्या-15042/प्रोबेशन-3-फार्म-ए/(एम०-20.03.2025) दिनांक-28-03-2025 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी हरफूल उर्फ काला पुत्र श्री रिसाल, जो 63सी0एन0 971 सठी इन्कलैव कुमार कालोनी विकास नगर, थाना-उत्तम नगर, दिल्ली का निवासी है। लूट के उद्देश्य से दिनांक 16/17.08.1998 की रात्रि को बन्दी ने अपने 01 सहअभियुक्त के साथ मिलकर बेरहमी से लाठी, डंडों व हथियारों से मारकर कुसुम पंडित नामक महिला की हत्या कर दी तथा घर का नकदी, जेवरात व अन्य समान लूटकर ले गये। द्वितीय केस-डैकती के उद्देश्य से दिनांक 10/11.03.2000 की रात्रि को बन्दी ने अपने 02 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर ड़डों से मारकर धन सिंह नामक व्यक्ति की हत्या कर दी तथा सोने के जेवरात व रू0 80,000/- लूटकर ले गये। उक्त अपराध हेतु बन्दी को (1)-एसटी नं0-349/2006, भा0द0वि0 की धारा-394/34, 302/34 में मा0 तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश, गौतमबुद्धनगर के आदेश दिनांक 19.11.2008 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेश दिनांक 06.11.2017 द्वारा आजीवन कारावास की सजा को यथावत रखा गया है। (2)-एसटी नं0- 60/2002/2005, भा0द0वि0 की धारा-460, 396 में मा0 अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, झज्जर हरियाणा के आदेश दिनांक 08.12.2005 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। बंदी की अपील मा० उच्च न्यायालय में लम्बित है। बन्दी द्वारा प्रथम केस दिनांक 18.09.2024 तक अपरिहार 18 वर्ष, 06 माह, 02 दिन तथा सपरिहार 23 वर्ष, 06 माह, 26 दिन एवं द्वितीय केस दिनांक 18.09.2024 तक अपरिहार 24 वर्ष, 04 माह, 00 दिन तथा सपरिहार 24 वर्ष, 04 माह, 00 दिन की सजा भोगी गयी है।

3- जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस आयुक्त एवं जिला मजिस्ट्रेट, गौतमबुद्धनगर द्वारा शासनादेश संख्या-1658/22-02-2004-25(94)/97, दिनांक 06.09.2004 के प्रस्तर 9-(2) के प्राविधान के अनुरूप 05 बिन्दुओं (जो लक्ष्मण नास्कर बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, 2000 क्रि०एल० जे० 1471 में मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्देशित किया गया) पर परीक्षण कर आख्या प्रेषित की गई है। उक्त आख्या में बन्दी का अपराध व्यक्ति विशेष तक सीमित अपराध की श्रेणी में नहीं होने, पुनः अपराध करने की सम्भावना से इन्कार नहीं किये जाने, बन्दी 48 वर्ष का है, पुनः अपराध करने में सशक्त होने, बन्दी की समयपूर्व रिहाई होने पर समाज में प्रतिकूल संदेश जाने के दृष्टिगत बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

4- प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि प्रकरण में लूट के उद्देश्य से दिनांक 16/17.08.1998 की रात्रि को बन्दी ने अपने 01 सहअभियुक्त के साथ मिलकर बेरहमी से लाठी, डंडों व हथियारों से मारकर कुसुम पंडित नामक महिला की हत्या कर दी तथा घर का नकदी, जेवरात व अन्य समान लूटकर ले गये एवं डैकती के उद्देश्य से दिनांक 10/11.03.2000 की रात्रि को बन्दी ने अपने 02 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर डंडो से मारकर धन सिंह नामक व्यक्ति की हत्या कर दी तथा सोने के जेवरात व रू0 80,000/- लूटकर ले जाने का जघन्य अपराध कारित किया है। बन्दी द्वारा 02 वादों में हत्या एवं लूट जैसा जघन्य अपराध कारित किया गया है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस आयुक्त एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा स्थानीय स्तर पर वर्तमान परिस्थितियों का सम्यक परीक्षण कर माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में समयपूर्व रिहाई का विरोध किया गया है। प्रकरण से सम्बंधित ऐसा कोई तथ्य परिलक्षित नहीं है, जिसके आधार पर जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस आयुक्त तथा जिला मजिस्ट्रेट की आख्या/संस्तुति के प्रतिकूल अवधारणा बनाई जा सके। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी हरफूल उर्फ काला पुत्र श्री रिसाल को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

5- अतः उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी हरफूल उर्फ काला (बन्दी संख्या-14980) पुत्र श्री रिसाल, निवासी दिल्ली को यू०पी० प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की फार्म-ए/लाइसेंस पर मुक्ति सम्यक् विचारोपरान्त राज्यपाल महोदया द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए पर शासन के आदेश अंकित करके एतदद्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

<u>संलग्नक: यथोपरि।</u>

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,
सूर्य प्रकाश मिश्र
संयुक्त सचिव।

<u>संख्या-1298/2025/934(1)/22-2-2025 तद्दिनांक...</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, गौतमबुद्ध नगर।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, आगरा।
3- निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
4- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
5- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
ममता श्रीवास्तव
अनु सचिव।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश संख्या-1298/2025/934/22-2-2025-17(885)/2025

दिनांक: 04 नवम्बर, 2025 का संलग्नक

सरकार के आदेश

केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी हरफूल उर्फ काला पुत्र श्री रिसाल, जो 63सी0एन0 971 सठी इन्कलैव कुमार कालोनी विकास नगर, थाना-उत्तम नगर, दिल्ली का निवासी है। लूट के उद्देश्य से दिनांक 16/17.08.1998 की रात्रि को बन्दी ने अपने 01 सहअभियुक्त के साथ मिलकर बेरहमी से लाठी, डंडों व हथियारों से मारकर कुसुम पंडित नामक महिला की हत्या कर दी तथा घर का नकदी, जेवरात व अन्य समान लूटकर ले गये। द्वितीय केस-डैकती के उद्देश्य से दिनांक 10/11.03.2000 की रात्रि को बन्दी ने अपने 02 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर डंडों से मारकर धन सिंह नामक व्यक्ति की हत्या कर दी तथा सोने के जेवरात व रू0 80,000/- लूटकर ले गये। उक्त अपराध हेतु बन्दी को (1)-एसटी नं0-349/2006, भा0द0वि0 की धारा-394/34, 302/34 में मा0 तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश, गौतमबुद्धनगर के आदेश दिनांक 19.11.2008 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेश दिनांक 06.11.2017 द्वारा आजीवन कारावास की सजा को यथावत रखा गया है। (2)-एसटी नं0- 60/2002/2005, भा0द0वि0 की धारा-460, 396 में मा0 अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, झज्जर हरियाणा के आदेश दिनांक 08.12.2005 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। बंदी की अपील मा० उच्च न्यायालय में लम्बित है। बन्दी द्वारा प्रथम केस दिनांक 18.09.2024 तक अपरिहार 18 वर्ष, 06 माह, 02 दिन तथा सपरिहार 23 वर्ष, 06 माह, 26 दिन एवं द्वितीय केस दिनांक 18.09.2024 तक अपरिहार 24 वर्ष, 04 माह, 00 दिन तथा सपरिहार 24 वर्ष, 04 माह, 00 दिन की सजा भोगी गयी है।

जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस आयुक्त एवं जिला मजिस्ट्रेट, गौतमबुद्धनगर द्वारा शासनादेश संख्या-1658/22-02-2004-25(94)/97, दिनांक 06.09.2004 के प्रस्तर 9-(2) के प्राविधान के अनुरूप 05 बिन्दुओं (जो लक्ष्मण नास्कर बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, 2000 क्रि०एल० जे० 1471 में मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्देशित किया गया) पर परीक्षण कर आख्या प्रेषित की गई है। उक्त आख्या में बन्दी का अपराध व्यक्ति विशेष तक सीमित अपराध की श्रेणी में नहीं होने, पुनः अपराध करने की सम्भावना से इन्कार नहीं किये जाने, बन्दी 48 वर्ष का है, पुनः अपराध करने में सशक्त होने, बन्दी की समयपूर्व रिहाई होने पर समाज में प्रतिकूल संदेश जाने के दृष्टिगत बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि प्रकरण में लूट के उद्देश्य से दिनांक 16/17.08.1998 की रात्रि को बन्दी ने अपने 01 सहअभियुक्त के साथ मिलकर बेरहमी से लाठी, डंडों व हथियारों से मारकर कुसुम पंडित नामक महिला की हत्या कर दी तथा घर का नकदी, जेवरात व अन्य समान लूटकर ले गये एवं डैकती के उद्देश्य से दिनांक 10/11.03.2000 की रात्रि को बन्दी ने अपने 02 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर डंडो से मारकर धन सिंह नामक व्यक्ति की हत्या कर दी तथा सोने के जेवरात व रू0 80,000/- लूटकर ले जाने का जघन्य अपराध कारित किया है। बन्दी द्वारा 02 वादों में हत्या एवं लूट जैसा जघन्य अपराध कारित किया गया है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस आयुक्त एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा स्थानीय स्तर पर वर्तमान परिस्थितियों का सम्यक परीक्षण कर माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में समयपूर्व रिहाई का विरोध किया गया है। प्रकरण से सम्बंधित ऐसा कोई तथ्य परिलक्षित नहीं है, जिसके आधार पर जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस आयुक्त तथा जिला मजिस्ट्रेट की आख्या/संस्तुति के प्रतिकूल अवधारणा बनाई जा सके। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी हरफूल उर्फ काला पुत्र श्री रिसाल को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त राज्यपाल महोदया द्वारा बन्दी की फार्म-ए/लाइसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार कर दी गयी है।

सूर्य प्रकाश मिश्र
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।